भूषण पावर और स्टील लिमिटेड.

बनाम

राजेश वर्मा और अन्य.

(अवमानना याचिका (सी) सं-374/2012)

2012 की सी.ए.सं.2790 में

22 अप्रैल, 2014

[सुरिंदर सिंह निजार और ए.के.सिकरी, जेजे.]

न्यायालय की अवमाननाः

उच्चतम न्यायालय का आदेश-लागू न किया जाना-एक समझौता ज्ञापन की शर्तों में, राज्य सरकार लौह अयस्क खदानों के अनुदान के लिए केंद्र सरकार को अपीलार्थी के पक्ष में अपने प्रस्तावित संयंत्र में उपयोग के लिए सिफारिश के लिए प्रतिबद्ध थी-इसके अनुसरण में अपीलार्थी ने भारी निवेश के साथ संयंत्र स्थापित किया-उच्चतम न्यायालय का अपील में सरकार को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार कदम उठाने का निर्देश देते हुए आदेश-अनुपालन नहीं-अभिनिधार्रित प्रत्यथीर्गण /अवमानकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि निर्णय में निहित निर्देश अंतिम हो गए हैं-हालांकि, राज्य सरकार/अवमानकर्ता ने कुछ परिस्थितियों और विकास के साथ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11[4] में सन्निहित वैधानिक

अधिदेश का भी वर्णन करके असहायता का अभिवचन किया है- अभिनिधार्रित -न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन से बचने के अवमानकर्ता ऐसी दलील नहीं उठा सकते हैं -जहाँ तक संदूर मैंगनीज में निर्धारित कानून का संबंध है, वह जो आवेदन लंबित हैं में लागू किया जा सकता है-परिवर्तन न्यायालय द्वारा कियोरा क्षेत्र के संबंध में परित आदेशों दिनांकित 14.3.2012 के निर्देशों का पालन न करने की अवमानना में हैं-हालांकि, उन्हें केंद्र सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रेषित करके अवमानना को शुद्ध करने का अवसर एक अंतिम दिया जाता है- कथित सिफारिशें पर अपने स्वयं के गुणावगुण और कानून अनुसार विचार करना केंद्र सरकार के लिए होगा.

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद.32-रिट याचिका-खनन पट्टा प्रदान करने के संबंध में समान राहत का दावा करना जैसा कि अपीलार्थी के मामले में उसकी अपील में निर्देशित किया गया था-अभिनिधार्रित-याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे न्यायालय में याचिकाएं दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि खनन पट्टा न देने से याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है हालांकि, याचिकाकर्ता के पास पहले उच्च न्यायालय का और/या कोई अन्य मंच जो कानून के अनुसार उपलब्ध हो रुख करने की स्वतंत्रता है.

अवमानना-याचिकाकर्ता-अपीलार्थी और उड़ीसा राज्य सरकार के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन दिनांकित 15.5.2002 की शताे के अनुसार, अपीलार्थी के पक्ष में प्रस्तावित संयंत्र में लौह अयस्क के उपयोग के लिए लौह अयस्क खदानों का अनुदान की केंद्र सरकार काे बाद वाली सिफारिश. इस उद्देश्य के लिए, 96 मिलियन टन लौह अयस्क के साथ ठाकुरानी क्षेत्र आरक्षित और 128 मिलियन टन अतिरिक्त लौह अयस्क के साथ कियोरा क्षेत्र पचास वर्षों के लिए संयंत्र की आवश्यकता निर्धारित किया गया था. संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन, पारिवारिक विवाद के कारण, जिसे बाद में सुलझा लिया गया था, लोहे अयस्क पट्टा प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं. इस बीच 2006 में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि कि ठाकुरानी क्षेत्र पर खनन पट्टा अनुमति अपीलार्थी के पक्ष में नहीं दी जा सकती है, और केंद्र सरकार को "एनएम (पी) लिमिटेड" के पक्ष में खनन पट्टा देने की सिफारिश कर दी. " अपीलार्थी ने एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष इन आदेशों को चुनौती दी जिसे खारिज कर दिया गया था. हालांकि, अपीलार्थी की अपील (सी.ए.सं.2790/2012) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 14.3.2012 `द्वारा राज्य सरकार को समझौता ज्ञापन दिनांकित 15.5.2002 की कंडीशंस के अनुसार केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए पहले की प्रतिबद्धताएँ के अनुसार अपीलकर्ता का इस्पात संयंत्र.की पर्याप्त लौह अयस्क भंडार आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते

हुए मंजूर की गई थी. निर्देशों को ठाकुरानी क्षेत्र के संबंध में लागू किया गया था, लेकिन वे केआरा क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं थे पीडित याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की. राज्य सरकार ने 2013 का आई.ए.सं.14 जिसमें बाद के घटनाक्रम विवरण दिया, दाखिल किया गया था-जो राज्य सरकार अनुसार अपीलार्थी के मामले की सिफारिश करना मुश्किल बना दिया. यह भी कहा गया था कि जो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदूर मैंगनीज में निधारिर्त किया गया, अपीलार्थियों की रिट याचिका या उनकी अपील में नहीं उठाया गया. 2013 के आई.ए.सं.14 में आई.ए.सं.2 अपीलार्थी के आवेदन में पारित यथास्थिति आदेश के खिलाफ एक अन्य कंपनी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था.. अन्य तीन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सी.ए.सं.2790/2012 में आदेश 14.3.2012 द्वारा अपीलार्थी को दिया गया लाभ उन तक भी विस्तारित किया जावे.

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिधार्रित

1.1. अपीलार्थी, अवमानना के माध्यम से 2012 के सी.ए.नं.2790 में निर्णय दिनांकित 14.3.2012 में इसके पक्ष में पारित निर्देशों का पालन करना चाहता है. राज्य सरकार ने निर्णय दिनांकित 14.3.2012 में निहित उक्त निर्णय के लाभार्थी, अर्थात् अपीलार्थी के पक्ष में निर्देशों की पालना

करने में असमर्थता का जाहिर किया है. पक्षकारों के बीच किया गया समझौता ज्ञापन में राज्य सरकार अपीलार्थी को इसके प्रस्तावित संयंत्र में उपयोग के लिए लौह अयस्क खदानों के अनुदान के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए प्रतिबद्ध थी अपीलार्थी को भूमि, बिजली, कैप्टिव पावर प्लांट आद स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने वाले विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा दी गयी अनुमति की पालना में 25,000 करोड़ रुपये निवेश का संयंत्र स्थापित किया गया. आगे ये भी कहा गया कि इस इस्पात संयंत्र को चलाने के लिए, निर्बाध लौह अयस्क आपूर्ति आवश्यक है. इस संयंत्र को उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र की राज्य सरकार की योजना की पालना में स्थापित किया गया था.अदालत ने निधार्रित किया कि समझौता ज्ञापन दिनांकित 15.5.2002 अपीलार्थी के पक्ष में रहे आरै ये भी कि राज्य सरकार कथित समझौता ज्ञापन [पैरा 13-16] [506 एफ, जी-एच; 507-डी, जी-एच; 508-ए, एफ, जी] के अनुसार सिफारिशें करने के लिए आबद्ध थी.

1.2 जहां तक 96 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार ठाकुरानी खदानों में रक्षित करने का संबंध है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी, जो भी अपीलार्थी के पक्ष में पारित की गयी थी. केयोरा खानों में 128 मिलियन टन भंडार के आरक्षण के संबंध में, उत्तरदाता/अवमानकर्ता विवाद नहीं करते हैं (और वास्तव में किसी भी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है) कि निर्णय में निहित निर्देश अंतिम बन

गए हैं. इसलिए, इन आदेशों का पालन करने का दिशा निर्देश दिया जाएगा. हालांकि, राज्य सरकार/अवमानकर्ता ने कुछ परिस्थितियों और विकास के साथ एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 11[4] में सन्निहित वैधानिक अधिदेश का भी वर्णन करके असहायता का भिवचन किया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंतिम आदेश केयोरा क्षेत्र [पारस 17-19] [510-A-C; 512-B-C] से संबंधित 14.3.2012 का निर्णय को लागू करने में प्रत्यर्थी राज्य के रास्ते में आए थे.

1.3. प्रत्यथीर्गण निर्णय में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन से बचने के लिए एक दलील नहीं उठा सकते हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक अंतर-पक्षीय निर्णय है, जो अंतिम हो गया है. यहां तक कि जब दीवानी अपील की सुनवाई की जा रही थी, कुछ अन्य पक्ष इन भूमि में उनके हितों दावा कर रहे थे, ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था. उस समय भी उल्लेख किया गया था कि 195 आवेदक हैं. हालांकि, इसके बावजूद, राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के मामले में दोनों क्षेत्रों में खनन पट्टे निर्देश के लिए सिफारिश करने के इस न्यायालय ने दृढ़ आदेश जारी किया.इस तरह निर्णय में दिये गये साफ और स्पष्ट निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है केवल इस आधार पर कि संदूर मैंगनीज मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, निर्णय दिनांकित 14.3.2012.[पैरा 20 और 24]

[512-बी-सी; 515-सी-ई] में निहित निर्देशों को पूर्ववत करने का आधार नहीं हो सकता है

टी.आर.धनंजय बनाम जे.वासुदेवन 1995 (3) पूरक. एससीआर 64 = (1995) 5 एससीसी 61; पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य; 2004 (3) पूरक. एससीआर 740 = (2004) 7 एस.सी.सी.261; बिहार वित्त सेवा एच.सी.कूप सोसायटी.लिमिटेड बनाम गौतम गोस्वामी और अन्य ; (2008) 5 एस.सी.सी.339-पर निर्भर.

संदूर मैंगनीज और लौह अयस्क बनाम कर्नाटक राज्य 2010 (11) एस.सी.आर.240 = ((2010)) 13 एस.सी.सी.1-संदर्भित.

1.4. जहाँ तक संदूर मैंगनीज में निर्धारित कानून का संबंध है, जिसे अभी भी लंबित अन्य आवेदनों के संबंध में राज्य सरकार लागू किया जा सकता है. हालांकि, इसे उस अपीलार्थी के लिए दबाया नहीं जा सकता है जिसके अधिकार उसके पक्ष में दिए गए निर्णय द्वारा स्पष्ट किए गए हैं. इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है, वह भी कथित निर्णय [पैरा 24] [515-ई-एफ] का कार्यान्वयन स्तर पर.

1.5. एक बार जब प्रत्यथीर्गण निर्णय दिनांकित 14.3.2012 में निहित निर्देश, लागू करने के लिए बाध्य हैं,जहाँ तक राज्य सरकार का संबंध है, वह इसका और अन्य बातों के साथ ऐसे मामलों का जिनमें केंद्र

सरकार राज्य सरकार की सिफारिश पर निर्णय लेती है अनुपालन करना बाध्य है-. [पैरा 25] [516 बी-सी]

1.6. अतः यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि रेस्पोंडेंट्स/

अवमानकर्ता इस न्यायालय द्वारा केयोरा क्षेत्र के संबंध में पारित आदेशों दिनांकित 14.3.2012 की अवमानना में हैं, जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें केंद्र सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रसारित करके अवमानना को शुद्ध करने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है. केंद्र सरकार को अपने स्वयं के गुणावगुण तथा कानून के अनुसार पर उक्त पर विचार करना होगा, यदि सिफारिश एक महीने के भीतर भेजी जाती है तो प्रत्यर्थीगण/अवमानकर्ता अवमानना याचिका से बरी होंगे और आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी. यद्यपि प्रत्यर्थीगण उक्त सुझाए गए तरीके से सफाई न करें तो याचिकाकर्ताओं के लिए इस न्यायालय को उचित आवेदन दायर कर यह इंगित करने के लिए खुला रहेगा और उस स्थिति में अवमानकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. [पैरा 27] [517 बी-ई]

2. जहाँ तक तीन रिट याचिकाओं का संबंध है, वे अपीलार्थी के साथ समानता के आधार पर दावा करते है. हालांकि, इस तरह की दलील के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 32 के तथा याचिका के द्वारा सीधा उच्च न्यायालय का रुख करने अधिकार नही है

क्योंकि याचिकाकर्ताओं को खनन पट्टा प्रदान ना करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नही है, ने कहा हालांकि, याचिकाकर्ता के पास पहले उच्च न्यायालय का और/या कोई अन्य मंच जो कानून के अनुसार उपलब्ध हो रुख करने की स्वतंत्रता है [पैरा 29 और 30] [517-एफ, जी-एच; 518-ए, सी-डी]

मोनेट इस्पात और एनर्जी लिमिटेड बनाम यू.ओ.आई.और अन्य. 2012 (7) एससीआर 644 = (2012) 11 एससीसी 1; असम राज्य बनाम ओम प्रकाश मेहता 1973 (3) एस.सी.आर.169 = (1973) 1 एस.सी.सी.584- पर निर्भर.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य 1998 (2) एस.सी.आर.795 = (1998) 4 एस.सी.सी.409- संदर्भित.

कानून मामला संदर्भः

2010(11)एससीआर 240 संदर्भित पैरा 5

1995(3)पूरकएससीआर 64 पैरा 21

2004(3)पूरक.एससीआर 740 पैरा 22

2008(3)एससीआर 1137 पैरा 23

1998 (2) एससीआर 795 पैरा 26

2012 (7) एससीआर 644 पैरा29

1973 (3) एससीआर 169 पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 374/2012.

डब्ल्यू.पी. (ग) सं. 6646/2006 में उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में सिविल अपील सं. 2790/2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2005 और 14.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत

के साथ

2013 की डब्ल्यू.पी.(c) संख्या 60, 194, 837.

आई.ए.संख्या 14 और आई.ए.संख्या 2 आई.ए.सं.14 में. 2012 के सी.ए.सं.2790 में

एल.नागेश्वर राव, एएसजी, मुकुल रोहतगी, डॉ.ए.एम.सिंघवी, आर.एफ.नरीमन, के.के.वेणुगोपाल, पिनाकी मिश्रा, के.राधाकृष्णन, शिबाशीष मिश्रा, अभिनव राव, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ई.सी.अग्रवाल, राधिका गौतम, रॉय गवई, राघव चड्ढा, आस्था शर्मा, संजीव कुमार, रोहित भट्ट, रजत जरीवाल, आकाश बजाज (खेतान एंड कंपनी के लिए), सचिन शर्मा, सत्य मित्र गर्ग, मंजुला गुप्ता, मोहन प्रसाद गुप्ता, डी.एस.महरा निम्नलिखित दलों के लिए.

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा द्वारा -

ए.के.सिकरी, जे.

1. उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई समान रूप से की गई क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए हैं. वास्तव में यह 2012 के सी.ए.सं.2790 में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2012 जो अन्य सभी मामलों का प्रेरक बिंदु बन गया है. 2012 का सी.ए.सं.2790 मेसर्स भूषण पावर और स्टील लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था. (पहले भूषण लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (इसके बाद 'बी.पी.एस.एल.' के रूप में संदर्भित). वह उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ एक अपील थी जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने बी.पी.एस.एल.की रिट याचिका को खारिज कर दिया था. आगे बढ़ने से पहले, हम विभिन्न मामलों की प्रकृति और पृष्ठभूमि का वर्णन करना चाहेंगे जिसमें उन्हें दाखिल किया गया.

2012 का सी.सी.पी.संख्या 374

2. पूर्ववर्ती भूषण लिमिटेड ने संबलपुर जिले उड़ीसा, के कुछ चिन्हित गाँवों में संयत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था. इस उद्देश्य के लिए उसने 1250 एकड़ भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया था, जिसका अधिग्रहण भूषण लिमिटेड के लिए किया गया था. इसने प्रस्तावित संयंत्र में उपयोग के लिए लोह अयस्क के खनन के पट्टे के अनुदान के लिए भी आवेदन किया था. इन आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया गया जो भूषण लिमिटेड को उपयुक्त लौह अयस्क क्षेत्र अनुदान के लिए उचित प्राथमिकता देने पर सहमत थी, और एक कोयला ब्लॉक के

अनुदान के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए भी सहमत थी. यहाँ तक राज्य सरकार और भूषण लिमिटेड के बीच कि एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित संयंत्र में इसके उपयोग के लिए केंद्र सरकार को लौह अयस्क खदानों के अनुदान की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का समझौता हुआ था. इस क्षेत्र के लिए सिफारिश के लिए 96 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार के साथ ठाकुरानी क्षेत्र निर्धारित किया गया था और कियोरा क्षेत्र, जिला सुंदरगढ़ 128 मिलियन टन अतिरिक्त लौह अयस्क के लिए ; दोनों संयंत्र की 50 साल की आवश्यकता के लिए. यद्यपि विभिन्न वैधानिक और संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य अनुमतियाँ दी गयी थीं और संयंत्र भी स्थापित किया गया था, लेकिन भूषण लिमिटेड के स्वामित्व वाले परिवार के सदस्यों के बीच कुछ लड़ाई के कारण लौह अयस्क पट्टे का अनुदान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

3. जहाँ तक उपरोक्त क्षेत्रों में लौह अयस्क भंडारों के खनन पट्टा देने की बात है यह खराब मौसम में गिर गया. इसके परिणामस्वरूप 18.1.2006 तारीख का राज्य सरकार द्वारा कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया जिसने यह निर्णय लिया गया कि ठाकुरानी क्षेत्र का विभिन्न आधारों पर खनन पट्टा अनुमति नहीं दी जा सकती और भूषण लिमिटेड द्वारा किया गया आवेदन अपरिपक्व था. इसके बाद उड़ीसा सरकार ने मेसर्स निप्पाज़ मेटालिक्स (पी) लिमिटेड के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए

खनन पट्टा देने के लिए खनन नियमों का नियम 59 (1) की छूट में केंद्र सरकार को एक सिफारिश 9.2.2006 पर की. इन आदेशों को चुनौती देते हुए भूषण लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका 8.5.2006 पर दायर की. यह रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा 14.12.2007 को खारिज कर दी गई और इस निर्णय को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसे एस.एल.पी.से सी.ए.सं.2790/2012 में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी यह अपील इस न्यायालय ने निर्णय दिनांकित 14.3.2012 के माध्यम से निम्नलिखित दिशा निर्देशः के साथ मंजूर की गई

> " तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश खारिज करते हैं और खनन पट्टा देने के लिए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने का राज्य सरकार का निर्णय दिनांक 9.2.2006, भी सुनवाई के दौरान हमें सूचित किया गया है कि ठाकुरानी ब्लॉक ए में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है, जिसमें अपीलार्थियों को भी समायोजित किया जा सकता है. हम, तदनुसार, उड़ीसा राज्य को दिनांकित 15.5.2002 समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कार्य करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते है साथ ही इसकी पिछली प्रतिबद्धताएँ अपीलकर्ता के अपने इस्पात संयंत्र लापांगा में लौह अयस्क

भंडार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदान के लिए केंद्र सरकार को मामले की सिफारिश करने के लिए भी

4. यह उल्लेख करना उचित होगा कि उड़ीसा राज्य ने इस फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, हालांकि बी.पी.एस.एल.को ठाकुरानी ब्लॉक ए दिया गया है, केवल केयोरा, जिला सुंदरगढ़ में आदेश लागू नहीं किया गया है बी.पी.एस.एल.द्वारा 2012 की अवमानना याचिका (सिविल) सं.374 दाखिल करने का यह सटीक कारण है

2013 का आई.ए.सं.14

5. उड़ीसा राज्य और उसके अधिकारी जो अवमानकर्ताओं के रूप में सी.सी.पी.में शामिल किए गए हैं ने सी.सी.पी.में अपने जवाब कुछ कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए दाखिल किए हैं जिनके कारण वे दावा करते हैं कि निर्णय में दिए गए निर्देश का प्रवर्तन करने में असमर्थ हैं.साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या 1/राज्य उड़ीसा ने 2013 का तत्काल आई.ए.सं.14 भी दाखिल किया है, जिसमें कुछ बाद के विकास जो पारित निर्णय दिनांकित 12.3.2012 के बाद हुए हैं.इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुछ उनके द्वारा दायर अन्य और कानूनी कार्यवाही हैं जो याचिकाएं उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में विभिन्न चरणों में लंबित हैं और उन कानूनी मामलों में

उनके द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में कार्यवाही उस क्षेत्र के साथ ओवरलैप होती है जो बी.पी.एस.एल.को अनुदान की विषय वस्तु है. संदूर मैंगनीज और लौह अयस्क बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 13 एस.सी.सी.1 के मामले में बाद के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है. जिसने कानूनी स्थिति को बदल दिया है जिससे राज्य के लिए याचिकाकर्ता का मामला सिफारिश करना मुश्किल हो गया है. यह भी कहा गया है कि जो मुद्दा संदूर मैंगनीज (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निपटा गया था बी.पी.एस.एल.की रिट कार्यवाही/दीवानी अपील में नहीं उठाया गया. उपरोक्त कथन के आधार पर आई.ए.में की गई प्रार्थना निम्नप्रकार है

> " कार्यान्वयन के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा 2012 की सिविल अपील सं.2790 में पारित अंतिम आदेश और निर्णय दिनांक 14.3.2012 में निहित निर्देशों का उचित निर्देश पारित करें जहाँ तक केयोरा क्षेत्र सुंदरगढ़ जिला में भूमि पर 128 लाखों टन अतिरिक्त लौह अयस्क के लिए याचिकाकर्ता के खनन पट्टा आवेदन उससे संबंधित है".

2013 का आई.एः सं.14 में 2013 का आई.ए.सं.2

6. 2013 के आई.ए.सं.14 में, इस आई.ए.को मेसर्स श्री.महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लि.द्वारा चुना गया है. इस आवेदक की

शिकायत बी.पी.एस.एल.द्वारा दायर आवेदन में पारित यथास्थिति आदेश 21.4.2008 के खिलाफ है. यह आरोप है कि आवेदक ने विभिन्न क्षेत्र, अधिसूचित और गैर-अधिसूचित, जिनमें ठाकुरानी क्षेत्र शामिल हैं लौह अयस्क खनन पट`टा के लिए 9 आवेदन किये है.हालांकि, यथास्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा आवेदक के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है जो आवेदक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है

2013 की याचिका (दीवानी) सं 60

7. 2012 के सी.ए.सं.2790 के तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करते हुए,

हमने पूर्ववर्ती भूषण लिमिटेड के परिवार के सदस्यों के आपस में होने वाले विवादों का उल्लेख किया था जिसके कारण बी.पी.एस.एल.को लौह अयस्क का अनुदान लीज पर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.ऐसा हुआ कि उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, परिवार के सदस्यों ने अपने विवादों को सुलझा लिया. 28.2.2006 पर, भूषण लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर बी.पी.एस.एल.कर लिया. एक अन्य समूह ने मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) नामक एक कंपनी को निगमित किया. तत्काल याचिका में बी.एस.एल.याचिकाकर्ता है. इस महत्वपूर्ण विकास को निम्नलिखित तरीके से 14.3.2012 के फैसले में ध्यान में रखा गया थाः

" जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है, 21 अप्रैल, 2008 को इस न्यायालयने भूषण लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में एक अंतरिम आदेश पक्षों को आवेदन खनन पट्टा प्रदान करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया आवेदन में दर्शाई गई भूमि के संबंध में यथास्थिति स्थिति बनाएरखने का निर्देश पारित किया गया

हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक जो बाद में हुआ 25 नवंबर, 2011 को श्री बी.बी.सिंघल और श्री नीरज सिंघल, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड के ने समझौता ज्ञापन दिनांक 15 मई, 2002 में अपने सभी दावों और अधिकारों को वापस लेने के लिए शपथ पत्र दायर किया जो राज्य सरकार और भूषण लिमिटेड के बीच निष्पादित किया गया और घोषणा की गई कि कथित समझौता ज्ञापन हमेशा भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पक्ष में था और रहा है.उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने दलों की श्रृंखला से अपने नाम हटाने के लिए भी प्रार्थना की."

XXX XXX

भूषण समूह के सदस्यों के बीच विवादों का पारस्परिक निपटान ने स्थिति को काफी बदल दिया है, क्योंकि बी.एस.एस.एल.ने 15 मई, 2002 का समझौता ज्ञापन के तहत अपना दावा वापस ले लिया है और घोषणा की है कि कथित समझौता ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा भूषणा पावर तथा स्टील लि० के पक्ष में निष्पाि‍दित किया गया था जिसने लपंगा में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की. जैसा कि पूर्व में बताया गया है यद्यिप समझौता ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा भूषण समूह के पक्ष में लपंगा में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया, बाद के चरण में, बी.एस.एस.एल.समझौता ज्ञापन के तहत एक अलग इस्पात संयंत्र मेहरामंडली में सथापित करने का क्लेम किया और राज्य सरकार और बी.एस.एस.एल.के बीच एक नए समझौता ज्ञापन के निष्पादन आशय के लिए के लिए एक सुझाव भी दिया किया गया इस

8. वर्तमान रिट याचिका में बी.एस.एल.का यह मामला है कि बी.एस.एल.तत्कालीन भूषण समूह का हिस्सा था. इसने उड़ीसा राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन दिनांकित 15.5.2002 निष्पादित किया.पारिवारिक निपटान के परिणामस्वरूप, एम/एस भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड (बीएसएसएल) ने एक अलग एम.ओ.ए.दिनांकित 3.11.2005 निष्पादित किया जिसमें 2002 के समझौता ज्ञापन में निहित उड़ीसा राज्य के समान कर्तव्य और दायित्व थे. 12.4.2007 को बी.एस.एस.एल.का नाम बीएसएल के रूप में बदल दिया गया था. इस

प्रकार यह दावा किया गया है कि बीएसएल समान रूप से बी.पी.एस.एल.के रूप में स्थित है और इसलिए बी.पी.एस.एल.को निर्णय दिनांकित 14.3.2012 द्वारा दिया गया लाभ बी.एस.एल.तक विस्तारित करने की आवश्यकता है. परमआदेश की प्रकृति में 12 वीं आई.आई.ए.सी.बैठक दिनांक 27.8.2003 के निर्णय तथा एम.ओ.ए. दिनांकित 3.11.2005 को राज्य सरकार के खिलाफ ठाकुरानी आर.एफ.ब्लॉक ए, जिला क्योंझर अर्थात 601.500 हेक्टेयर एम.एल.आवेदन संख्या 1079 अर्थात 722.30 हेक्टेयर लगभग गाँव कदलिया, कुरियाकुदर, मिथिरदा आदि बोनाई उप-मंडल के तहत, जिला सुंदगढ़ से बीएसएल संयंत्रों की कैप्टिव आवश्यकता पूरा करने के लिए शेष भाग के आवंटन के लिए केंद्र सरकार को उचित सिफारिश करके लागू करने निदेर्श की मांग की गयी है.

9. संक्षेप में, याचिकाकर्ता वही व्यवहार चाहता है जो है बी.पी.एस.एल.को दिया गया और इसलिए, निर्णय दिनांकित 12.3.2012 के द्वारा बी.एस.एल.को प्राप्त लाभ तक विस्तार के लिए प्रार्थना की गई है

2013 की रिट याचिका (सी) सं.194

10. यह रिट याचिका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (इसके बाद 'जिंदल स्टील' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है. इसने उड़ीसा राज्य के साथ 8.5.2002 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया.इस रिट याचिका में कहा गया है कि यह याचिकाकर्ता अपने हितों की रक्षा के लिए

निर्णय दिनांकित 14.3.2012 का सी.ए.सं.2790 में हस्तक्षेपकर्ता बन गया जिसे दि- 14.3.12 के निर्णय में निम्न लिखित तरीके से नोट किया गया है.

> " हस्तक्षेपकर्ता मैसर्स जिंदल स्टील्स लिमिटेड के लिए उपस्थित, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री.के.वी.विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि जब तक अपीलकर्ताओं के पक्ष में कोइ भी आवंटन किया गया किसी पक्ष ने मै० जिंदल स्टील्स लिमिटेड के पक्ष में किए गए आवंटन का विरोध नहीं किया, जिंदल स्टील्स लिमिटेड को अपीलकर्ता के पक्ष में किया जा रहे अलग आवंटन के खिलाफ कोइ शिकायत नही हो सकती है."

11. यह दलील दी गयी है कि जिंदल स्टील का मामला खनन पट्टा अनुदान के लिए एक बेहतर स्तर पर है, जिसके लिए आवेदन उड़ीसा राज्य के पास लंबित हैं. उसने भी एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. जिसमें राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा अनुदान देने का समान वादा किया गया था. इसके अतिरिक्त, जिंदल स्टील को ठाकुरानी आर.एफ.ब्लॉक ए क्षेत्र के संबंध में लाभ खनन पट्टा के लिए एक पूर्व आवेदक होने के नाते लाभ मिला जो बीपीएसएल द्वारा एक समझौता ज्ञापन का भी हिस्सा था. यह भी उल्लेख

किया गया है कि उक्त क्षेत्र के संबंध में 16 खनन पट्टा आवेदन प्राप्त हुए थे और खान निदेशक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.11.2002 के माध्यम से जिंदल स्टील, बी.पी.एस.एल.और तीन अन्य आवेदको को छोड़कर अन्य सभी आवेदन को खारिज कर दिया. जिंदल स्टील के मामले में, बी.पी.एस.एल.के संबंध में 383 हेक्टेयर की तुलना में ठाकुरानी आर.एफ.ब्लॉक ए में 264 हेक्टेयर के लिए सिफारिश की गई थी. यह भी कहा गया है कि ठाकुरानी क्षेत्र में बी.पी.एस.एल.के संबंध में सिफारिश राज्य सरकार द्वारा किये जाने और भारत संघ द्वारा अनुमोदित होने के बावजूद जिंदल स्टील की सिफारिश अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित है. इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता जिंदल स्टील का मामला पूरी तरह से 2012 की सी.ए.सं.2790 में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2012 के दायरे में आता है और इसका लाभ इस याचिकाकर्ता को भी दिया जाए.

2013 की रिट याचिका (सी) सं.837

12. यह रिट याचिका श्री महावीर फेरो अलॉयज प्रा.लि.द्वारा दायर की गई है. इसने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ 0.35 एम.टी.पी.ए.कैप्टिव इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और सुंदरगढ़ जिले में 60 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है जिसका कुल मिलाकर 435 करोड़ रुपये का निवेश था. इस याचिकाकर्ता का दावा है कि खनन पट्टे

देने के लिए राज्य सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार इसने इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत किया था हालांकि, 10 साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन राज्य सरकार ने इसके मामले की सिफारिश नहीं की है, मुख्य रूप से इस न्यायालय द्वारा 2012 के सी.ए.नं.2790 में पारित यथास्थिति आदेशों के कारण. यह बताया गया है कि इस कारण से इस याचिकाकर्ता ने पहले ही 2012 की सी.ए.नंबर 290 में 2013 की आई.ए.नंबर 14 में आई.ए.2 दाखिल कर चुका है. इस याचिकाकर्ता का मामला फिर से यह है कि यह बी.पी.एस.एल.के साथ-साथ जिंदल स्टील के समान ही परिचित आर रखा गया है और, इसलिए, खनन पट्टे देने का हकदार है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.3.2012 के माध्यम से बी.पी.एस.एल.के पक्ष में किया गया तथा.

13. हमने कार्यवाही का पक्ष लेने के लिए विभिन्न पक्षों द्वारा दायर किया गया मामलों के सार को पुनः प्रस्तुत किया है. यह स्पष्ट हो जाता है और आसानी से समझा जा सकता है कि जैसा कि बी.पी.एस.एल.का संबंध है वह अवमानना याचिका के माध्यम से 2012 के सी.ए.नं.2790 में पारित निर्णय दिनांकित 14.3.2012 में से इसके पक्ष में निहित निर्देशों को लागू करने की मांग कर रहा है.तीन अन्य पक्षकार यथा बी.एस.एल., जिंदल स्टील और महावीर फेरो अलॉयज (पी) लिमिटेड ने दावा करते हुए रिट याचिका दायर की है. जिसमें बी.पी.एस.एल.को फैसले दिनांकित 14.3.2012 के तहत दी गई राहत की तरह दावा किया गया है इस आधार पर कि

उन्हें समान रूप में रखा गया है या बी.पी.एस.एल.से भी बेहतर स्थिति में है और इसलिए, उसी उपचार के हकदार हैं. इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, राज्य सरकार ने निर्णय दिनांकित 14.3.2012 में निहित निर्देशों पूरा करने में अपनी असहायता दिखाने का साहस किया है यहां तक कि बी.पी.एस.एल.नामक उक्त निर्णय के लाभार्थी को भी. जहाँ तक अन्य तीन रिट याचिकाकर्ताओं का संबंध है, न केवल समान कठिनाइयों को पेश करने की कोशिश की गयी है, बल्कि ये भी उल्लेख किया गया है की विभिन्न कारणों से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को दी गयी समानहृत समान लाभ की मांग करने से रोका गया है.इसके अलावा, इन लोगों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाएं की स्थीरता पर भी सवाल उठाया गया है.ऐसे परिदृश्य में सबसे पहले बीपीएसएल द्वारा दायर सीसीपी से निपटना उचित है.

2012 अवमानना याचिका (सी) सं.374 में

2012 की सी.ए.सं.2790

14. हम पहले ही तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का सार बता चुके हैं. जिसमें बी.पी.एस.एल.ने लौह अयस्क के खनन पट्टों के अनुदान के लिए उच्च न्यायालय और इसके बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसका कि पहले ही उल्लेख किया गया है पक्षकारों के बीच में हुए समझौता ज्ञापन में राज्य सरकार ने लपंगा में स्थापित होने वाले संयंत्र में उपयोग

के लिए बी.पी.एस.एल.को लौह अयस्क खदानों के अनुदान के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए प्रतिबद्ध किया था.इसके संबंध में केंद्र सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें करने पर सहमति बनी

(अ) संयंत्र की 50 साल की आवश्यकता के लिए क्योंझर (ठाकुरानी क्षेत्र) जोड़ा बारबिल सेक्टर me 96 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार के अनुदान के लिए.

(ख) 50 वर्षों की 1.6 मिलियन टन आवश्यकता को पूरा करने के लिए. के लिए,के ओरा,जिला सुन्दरगढ़ में 128 मिलियन टन अतिरिक्त लौह अयस्क भंडार के लिए

15. बीपीएसएल को भूमि, बिजली, कैप्टिव पावर प्लांट आदि की स्थापना के लिए अनुमति आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाले विभिन्न अधिकारियों द्वारा अनुमति देने से संबंधित, दिनांक 14.3.2012 के फैसले में नोट किए गए विस्तृत तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है. उन अनुमति के साथ, बीपीएसएल ने उड़ीसा के संबलपुर जिले के लापंगा में संयंत्र स्थापित किया. बीपीएसएल का दावा है कि उसने इस प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रु.का निवेश किया है.आगे कहा गया है कि इस स्टील प्लांट को चलाने के लिए लौह अयस्क की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है.यह संयंत्र राज्य सरकार की योजना के अनुरूप उड़ीसा के एक पिछड़े इलाके में स्थापित किया गया था. यही कारण है कि राज्य सरकार उक्त संयंत्र को

सुचारू रूप से चलाने के लिए 50 वर्षों की अवधि में 200 मिलियन टन की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लौह अयस्क भंडार के खनन अधिकार देने पर सहमत हुई. इस कारण दिनांक 15.5.2002 का एमओयू किया गया. चूंकि खनन पट्टे का अनुदान खनन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार जो एक सिफारिशी प्राधिकारी है, बीपीएसएल के मामले की सिफारिश करने के लिए सहमत हुई थी. भूषण परिवार में अंदरूनी कलह के कारण कुछ समय तक गतिरोध बना रहा. हालाँकि, यह गतिरोध सुलझ गया. इन घटनाक्रमों पर ध्यान देते हुए न्यायालय की राय थी कि दो मुद्दे थे जो विचार के लिए उठे थे:

(ए) क्या अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिनांक 15 मई, 2002 का समझौता ज्ञापन जारी रहेगा?

(बी) क्या राज्य सरकार दिनांक 15 मई, 2002 के उपरोक्त एमओयू में निहित शर्तों के अनुसार लौह अयस्क खदानों के अनुदान के लिए सिफारिशें करने के लिए बाध्य है और क्या उन क्षेत्रों के संबंध में जिन्हें नियम 59 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था(1), राज्य सरकार नियम 59(2) के तहत नियम 59(1) में छूट की सिफारिश कर सकती है.

16. न्यायालय ने इन मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और बीपीएसएल के पक्ष में फैसला सुनाया कि 15.5.2002 का एमओयू अभी भी बीपीएसएल के पक्ष में कायम है और यह भी कि राज्य सरकार उक्त

एमओयू के अनुसार सिफारिशें करने के लिए बाध्य है. इस संबंध में चर्चा का सबसे प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "भूषण लिमिटेड के साथ एमओयू के अनुसार, राज्य सरकार ने लापंगा में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए न केवल जमीन आवंटित की थी, बल्कि प्लांट को चालू करने के लिए पूरी मदद भी की थी, जो वास्तव में पहले ही काम करना शुरू कर चुका था..हालाँकि, यह 15 मई, 2002 को निष्पादित एमओयू के तहत बीएसएसएल द्वारा किया गया दावा है, जिसने लापंगा में स्टील प्लांट की स्थापना में बाधाएँ पैदा की थीं. भूमि आवंटित करने और भूषण लिमिटेड को उक्त संयंत्र के निर्माण के लिए कदम उठाने की मंजूरी देने के बावजूद, बाद में यह तर्क दिया गया कि भूषण लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन समय से पहले था और इसलिए, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी. लपांगा में अपना इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए भूषण लिमिटेड को सहयोग देने में विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों के विशिष्ट उदाहरण यहां ऊपर दिए गए हैं. अब पलटना और यह रुख अपनाना कि भूषण लिमिटेड द्वारा किया गया आवेदन समय से पहले था, न केवल अनुचित है, बल्कि भूषण लिमिटेड के लिए पूरी तरह से अनुचित है, जिसने

पहले ही संयंत्र स्थापित करने में बड़ी रकम का निवेश किया है. राज्य सरकार ने 15 मई, 2002 को भूषण लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे और यहां तक कि स्टील प्लांट के संचालन के लिए खनन क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने पर भी सहमति व्यक्त की थी. भूषण समूह के भीतर विवाद के कारण जो भी मतभेद उत्पन्न हुए थे जिसके कारण राज्य सरकार को पुनर्विचार करना पड़ सकता था, अब भूषण लिमिटेड (अब बीपीएसएल) और बीएसएसएल के बीच हुए समझौते के आधार पर शांत हो गया है. राज्य सरकार ने भी उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया है.उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई हमें अत्यधिक अनुचित और मनमानी प्रतीत होती है और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को भी आकर्षित करती है. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने 15 मई, 2002 के एमओयू के अनुसार अपनी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए बदल दिया है. राज्य सरकार और बीएसएसएल के बीच बाद में जो भी व्यवस्था हुई हो, मूल एमओयू दिनांक 15 मई, 2002, अस्तित्व में रहा और क्रियाशील रहा .

17. जहां तक ठकुरानी खदानों में 96 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार का सवाल है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी, जिसने बीपीएसएल के पक्ष में इसे मंजूरी भी दे दी है. अब विवाद 128 मिलियन टन के भंडार के लिए केओरा खदानों से संबंधित है.

18. रेस्पोंडेंट/अवमाननाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं (और वास्तव में किसी भी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है) कि निर्णय में निहित उपरोक्त निर्देश अंतिम हो गए हैं. राज्य सरकार द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई लेकिन असफल रही. इसलिए, कोई भी इन निर्देशों का पालन करने का आदेश देगा. हालाँकि, राज्य सरकार/अवमाननाकर्ता ने कुछ परिस्थितियों का वर्णन करके अपनी असहायता का अनुरोध किया है जो नीचे दी गई हैं.

> "(ए) ये क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1) के तहत 23.8.1991 को अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं. दिनांक 23.8.1991 की अधिसूचना की वैधता एसएलपी (सी) संख्या 31593 /2010 और 2010 के संबंधित मामले में एक मुद्दा है जो अब इस माननीय न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच के समक्ष 17.01.2013 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं.

(बी) इसके अलावा, यह देखा गया है कि मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड सहित लागू क्षेत्र कई अन्य आवेदकों के लागू क्षेत्र के साथ ओवरलैप हो रहा है..

(सी) यह भी बताया गया है कि इससे पहले 21.10.1997 को बीपीएसएल के लागू क्षेत्र के साथ ओवरलैपिंग करने वाले 998.93 हेक्टेयर क्षेत्र को उक्त कंपनी के अनुसरण में मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के पक्ष में अनुशंसित किया गया था. हालाँकि, कुछ कारणों से यह सिफ़ारिश वापस ले ली गई. इसके बाद, मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के संशोधित एमएल/पीएल आवेदन को को अस्वीकार कर दिया गया. उक्त कंपनी ने अस्वीकृति के आदेश को पुनरीक्षण प्राधिकरण यानी केंद्र सरकार के समक्ष चुनौती दी, जिसने 10.7.2003 को आदेश पारित किया जिसमें मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया है. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने खनन पट्टा देने के लिए लगभग 196 आवेदन दिए और सभी आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिया. हालाँकि, बीपीएसएल उन 196 आवेदनों से बाहर है जिन पर नए सिरे से विचार किया जाना था.

(डी) मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने केंद्र सरकार के उक्त आदेशों को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है. इसके खिलाफ अपील को डिवीजन बेंच ने 3.7.2012 को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को एसएलपी (सी) नंबर 33812/2012 दाखिल कर चुनौती दी गई है. जिसमें नोटिस जारी किया गया है और चूंकि मामला उन कार्यवाही में विचाराधीन है, इसलिए इस स्तर पर बीपीएसएल के लिए कोई भी आदेश पारित करना मुश्किल है.

(ई) आगे यह भी बताया गया है कि संदुर मैंगनीज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11(4) के प्रावधानों पर विचार किया है और निष्कर्ष निकाला है कि खनिज रियायत नियम, 1960 नियम 59(1) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों पर दायर सभी आवेदन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11(4) के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार धारा 11 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के बाद एक साथ आवेदकों में से किसी एक को अधिसूचित क्षेत्र पर खनन पट्टा दे सकती है.

सुंदरगढ़ और रकमा में खजुरडीही आरएफ पर दायर आवेदनों पर एक साथ विचार करने की प्रक्रिया, क्योंझर जिले के मर्सुआनंद तिरिबा ऐसे क्षेत्र से संबंधित मुकदमों में पारित विभिन्न स्थगन आदेशों के कारण रुकी हुई थी. इस आवेदन में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन, संबंधित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ओवरलैपिंग आवेदनों को देखते हुए आवेदनों पर एक साथ विचार करने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा. इनमें से प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 (3) के संदर्भ में सापेक्ष योग्यता के मूल्यांकन के लिए इन आवेदकों की साख का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है.

19. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि ऊपर वर्णित घटनाक्रम और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11(4) में सन्निहित वैधानिक आदेश दिनांक 14.3.2012 के अंतिम आदेश और निर्णय को लागू करने में रेस्पोंडेंट राज्य के रास्ते में आ गए हैं. अब तक यह सुंदरगढ़ जिले के केओरा क्षेत्र से संबंधित है. यह भी तर्क देने की कोशिश की गई है कि केओरा क्षेत्र में खानों की सिफारिश के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का प्रश्न, जो लगभग पूरी तरह से धारा 11 के विशिष्ट संदर्भ के साथ एमसी

नियम, 1960 के नियम 59 (1) के तहत जारी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं. एमएमडीआर अधिनियम के धारा 11(4) और 11(3) को रिट कार्यवाही/सिविल अपील में नहीं उठाया गया था. 2012 की सिविल अपील संख्या 2790 में पारित इस माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.3.2012 के कार्यान्वयन के दौरान, प्रत्यर्थी सं-1 को केओरा क्षेत्र के संबंध में ऊपर बताई गई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसलिए, उचित दिशा-निर्देशों के लिए यह आवेदन.

20. सवाल यह है कि क्या फैसले में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन से बचने के लिए ऐसी याचिका दायर की जा सकती है? इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित कानून के स्पष्ट और आधिकारिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारा उत्तर नकारात्मक है. इन निर्णयों को पढ़ने से राज्य सरकार/अवमानकों द्वारा बताई गई तथाकथित कठिनाइयों का पूरा उत्तर आराम से मिल सकता है.

21. पहला निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह टीआर धनंजय बनाम जे.वासुदेवन (1995) 5 एससीसी 619 का मामला है;. उक्त निर्णय में निहित निम्नलिखित चर्चा यहां बिल्कुल लागू होती है:-

> "10.जब यह आदेश पारित किया गया, तो प्रत्यथी के पास केवल निगम द्वारा इसके तहत की गई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का

कार्यान्वयन था. अब यह स्पष्ट है कि आदेश को लागू करने के बजाय, इसे दरकिनार करने और याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करने का प्रयास किया गया है. जैसा कि पहले कहा गया है, याचिकाकर्ता एक निगम कर्मचारी है और सरकार का रुख अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का प्रतीत होता है. इसलिए, अब नियम की स्थिति में आने और यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य है. अब कहा गया है कि नियमों के मुताबिक याचिकाकर्ता केवल अधीक्षण अभियंता के पद के लिए पात्र होगा, मुख्य अभियंता के पद के लिए नहीं. जब एलए 3/ 1993 में दिशा निर्देश दिया गया था की सरकार कार्यवाही में एक पक्ष थी और यह कभी भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया कि याचिकाकर्ता पात्र नहीं था. दूसरी ओर, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिकार को बरकरार रखा जो अंतिम हो गया.

11.प्रश्न यह है कि क्या रेस्पोंडेंट इस स्तर पर यह उल्टा कदम उठाने के लिए खुला है. ऐसा देखा गया है कि जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर एलए क्रमांक 3 में निर्देश दिया

गया तो पूरी सरकार एक पक्ष थी, यह ध्यान में नहीं लाया गया कि दासेगौड़ा या किसी अन्य के विपरीत याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था. जब परस्पर दावे पर फैसला सुनाया गया था और याचिकाकर्ता का दावा अंतिम हो गया था और दासेगौड़ा का दावा खारिज कर दिया गया था, तो सरकार के लिए आदेश के पीछे जाना और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव को कम करना, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने के लिए कानूनी बहाने को वैध बनाने के लिए, परिणाम को टालने के लिए अब खुला नहीं है. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करने का ठोस प्रयास किया है. इसलिए, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर और जानबूझकर, इस न्यायालय के आदेशों को विफल करने के इरादे से, विवादित आदेश पारित किया है."

22. विस्तृत रूप में उद्धृत एक अन्य निर्णय पृथवी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2004) 7 एससीसी 261है;. उक्त निर्णय का पैरा 8 निम्नलिखित पाठ करता है:

"8.यदि कोई संबंधित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरुद्ध है या उसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस अदालत से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना चाहिए. अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही या गलत होने का आग्रह नहीं किया जा सकता. सही हो या गलत, आदेश तो मानना ही पड़ेगा. अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर पक्षकार अवमानना के लिए उत्तरदायी होगी. अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय अदालत उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकती, जिसका अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है. दूसरे शब्दों में, यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था. आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता. यह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता. वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा वह अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा. मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च

न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया है. यह नए सिरे से कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में आवेदन से निपटेगा. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता या अन्यथा के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है.

23. इसी सिद्धांत को बिहार वित्त सेवा एचसी कॉप समिति लिमिटेड बनाम गौतम गोस्वामी और अन्य; (2008) 5 एससीसी 339 में भी निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है:

"32.उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय यह न्यायालय उन मुद्दों को फिर से खोलने का इरादा नहीं रखता है जो मूल कार्यवाही में उठाए जा सकते थे और न ही यह इक्विटी की दलील सहित अन्य प्रश्नों पर विचार करेगा जो केवल मूल कार्यवाही में विचार के लिए आ सकते हैं. कोर्ट को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मूल आदेश सही था या गलत. न्यायालय को अलग दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए या उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. यह आमतौर पर कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या जारी किए गए निर्देश को

हटा नहीं सकता. संक्षेप में, यह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे इसके समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग हो."

24. हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि अंतर-पक्षकार, एक निर्णय है, जो अंतिम हो गया है. यहां तक कि जब सिविल अपील पर सुनवाई हो रही थी, तब भी कुछ अन्य पक्षकारों ने इन्हीं जमीनों में अपनी रुचि का दावा करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था. उस समय भी 195 आवेदक होने की बात कही गयी थी.हालाँकि, इसके बावजूद, इस न्यायालय ने राज्य सरकार को दोनों क्षेत्रों में खनन पट्टे के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की सिफारिश करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए. निर्णय में दिए गए ऐसे स्पष्ट और स्पष्ट निर्देशों के मद्देनजर, जो अंतिम रूप ले चुका है, केवल इसलिए कि इस न्यायालय द्वारा संदूर मैंगनीज मामले में एक और निर्णय दिया गया है, दिनांक 14.3.2012 के निर्णय में निहित निर्देशों को पूर्ववत करने का आधार नहीं हो सकता है. जहां तक संदुर मैंगनीज (सुप्रा) में निर्धारित कानून का सवाल है, इसे राज्य सरकार द्वारा अन्य आवेदनों के संबंध में लागू किया जा सकता है और उनका पालन किया जा सकता है जो अभी भी लंबित हैं. हालाँकि, इसे याचिकाकर्ता की सेवा में नहीं डाला जा सकता, जिसके अधिकार उसके पक्ष में दिए गए फैसले से स्पष्ट हो गए हैं. इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता, वह भी उक्त फैसले के कार्यान्वयन के चरण में.

25. हम याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे कि अधिसूचना के तहत कुल क्षेत्रफल 731.67 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 406 वर्ग कि.मी.अभी तक आवंटित नहीं किया गया है. एमओयू के तहत याचिकाकर्ता के हिस्से में जो क्षेत्र आता है वह 13.91 वर्ग किमी है. जो कि 406 वर्ग किमी का बमुश्किल 3 प्रतिशत है और इसलिए, याचिकाकर्ता के पक्ष में राज्य सरकार की सिफारिश को केवल अचूक आवेदनों के आधार पर रोका या रद्द नहीं किया जा सकता है, जिसके भाग्य का फैसला होना अभी बाकी है. यह भी बताया गया है कि जहां तक अन्य रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनके द्वारा दावा किया गया क्षेत्र याचिकाकर्ता के क्षेत्र के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है. हालाँकि, इन विवादों पर विस्तार से जाना शायद ज़रूरी भी नहीं होगा. एक बार जब हम मानते हैं कि प्रत्यथीर् दिनांक 14.3.2012 के फैसले में निहित निर्देश को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, यह इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है और ऐसे मामलों को, अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ, राज्य सरकार की अनुशंसा पर निर्णय लेते समय केंद्र सरकार की समझदारी पर छोड़ा जा सकता है.

26. जहां तक टाटा और एलएनटी के हस्तक्षेप आवेदनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य (1998) 4 एससीसी 409; मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, इन्हें गैर-पोष्नीय के रूप में खारिज किया जाता है;

“42.न्यायालय की अवमानना एक विशेष क्षेत्राधिकार है जिसका प्रयोग संयमपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए जब भी कोई कार्य न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या जो इसके पाठ्यक्रम में बाधा डालता है या न्यायिक संस्थानों में जनता के विश्वास को हिला देता है. इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब शिकायत की गई कार्रवाई कानून की महिमा या अदालतों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य कानून की अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है. यह "जूरी, जज और जल्लाद" को मिलाकर एक असामान्य प्रकार का क्षेत्राधिकार है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत मुकदमा करने वाले पक्षों के बीच किसी भी दावे पर फैसला नहीं दे रही है. इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा की रक्षा के लिए नहीं किया जाता है बल्कि न्याय प्रशासन को बदनाम होने से बचाने के लिए किया जाता है [तस्वीर]. समुदाय के सामान्य हित में यह जरूरी है कि अदालतों के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और न्याय प्रशासन में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. यह अदालत और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है और

तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इसका प्रयोग न्याय प्रशासन, कानून की महिमा और अदालतों की गरिमा की सहायता के लिए संक्षेप में किया जाता है. ऐसे किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिससे न्याय प्रशासन की निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को हिलाने की प्रवृत्ति हो."

27. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि रेस्पोंडेंट/अवमाननाकर्ता केओरा क्षेत्र के संबंध में निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दिनांक 14.3.2012 की अवमानना कर रहे हैं. हालाँकि, हम उन्हें केंद्र सरकार को अपेक्षित सिफारिशें प्रेषित करके अवमानना को शुद्ध करने का एक अंतिम अवसर दे रहे हैं. यह केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वह अपनी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार उक्त सिफारिशों पर विचार करे. यदि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर सिफारिश भेजी जाती है, तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं और प्रत्यथीर्/अवमाननाकर्ताओं को इस अवमानना याचिका से मुक्त कर दिया जाएगा. हालाँकि, यदि प्रत्यथीर् ऊपर उल्लिखित तरीके से शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे उचित आवेदन दायर करके इस न्यायालय में इसे इंगित करें और उस स्थिति में अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

28. इसके साथ ही सीए नं.2790 /12 में आईए नंबर 14.और सीए नं 2790/2012 का आईए नंबर 14 में आईए नंबर 2 भी निस्तारित किया गया.

रिट याचिकाएँ

29. जहां तक तीन रिट याचिकाओं का संबंध है, हमें उन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए विस्तृत तर्कों पर जाने की आवश्यकता नहीं है. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अपने-अपने कारणों से सभी तीन याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि दिनांक 14.3.2012 के फैसले में बीपीएसएल के पक्ष में दिए गए वही निर्देश उनके मामलों में भी पारित किए जाएं. ऐसा वे बीपीएसएल के साथ समानता के आधार पर दावा करते हैं. हालाँकि, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि, इस तरह के तर्क के आधार पर, वे रिट याचिका दायर करके संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे इस अदालत में नहीं जा सकते हैं. यह पहले ही आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जा चुका है कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है. खनन पट्टा न देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है. (देखें (2012) 11 एससीसी 1 और (1973) 1 एससीसी 584).

30. इसके अलावा, कुछ अन्य पहलू भी हैं, जिन्हें विद्वान एएसजी श्री एल.नागेश्वर राव ने उपयुक्त रूप से बताया है, जो तत्काल याचिकाओं

की सुनवाई के रास्ते में आते हैं. उन्होंने, अन्य बातों के अलावा, प्रस्तुत किया कि कम से कम उन आवेदनों के संबंध में जो अभी भी लंबित हैं और जिन पर निर्णय होना बाकी है, संदुर मैंगनीज (सुप्रा) के निर्णय को लागू करना होगा क्योंकि यह अछूता क्षेत्र नहीं रहता है, जो कि बीपीएसएल के मामले का निर्णय लिया गया समय स्थिति थी. उन्होंने योग्यता के आधार पर कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी दी थीं. इन सभी मुद्दों पर जाए बिना, हम इन याचिकाओं को खारिज करते हैं और याचिकाकर्ताओं को पहली बार में उच्च न्यायालय और/या कानून के अनुसार उपलब्ध किसी अन्य मंच से संपर्क करने की छूट देते हैं. हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक इन याचिकाओं का संबंध है, हमने मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है. जहां भी याचिकाएं दायर की जाती हैं, उक्त मंच इस सवाल से निपटने के लिए खुला होगा कि क्या याचिकाकर्ता बीपीएसएल के मामले में पारित फैसले दिनांक 14.3.2012 का लाभ पाने के हकदार होंगे या नहीं. उन कार्यवाहियों में अन्य सभी मुद्दों को भी उत्तेजित करने के लिए खुला रखा जाता है. रिट याचिकाएं उपरोक्तानुसार स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती हैं.

यह अनुवाद आटिर्फिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी, रामेश्वर प्रसाद चौधरी, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है.

अस्वीकरणः यह निणर्य पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी उन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है. सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्धेश्यों के लिए निणर्य का अंग्रेजी संस्करण ही पमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्र्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.